



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०

खाद्य भवन, दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक रोड नं०-२, पटना-८००००१

पत्रांक-०२:१५:१७(अधि०)/२०१७- १२५२ दिनांक:- ०५/१२/१८

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति),
मुख्यालय पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषय:- खरीफ विपणन वर्ष २०१७-१८ अन्तर्गत Acceptance Order निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:- निगम मुख्यालय का पत्रांक-१२२१२ दिनांक-०१.१२.२०१७ एवं १२५८४ दिनांक-१२.१२.२०१७

महाशय,

ज्ञातव्य है कि विहित प्रावधानानुसार निर्गत Acceptance Order के आधार पर ही पैक्सों/व्यापारमंडलों द्वारा गुणवतायुक्त सी०एम०आर० निगम द्वारा संचालित अधिसूचित सी०एम०आर० संग्रहण केन्द्रों पर जमा किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि निगम मुख्यालय के पत्रांक-१२२१२ दिनांक-०१.१२.२०१७ से निर्गत दिशानिदेश के कंडिका-“५” में “सी०एम०आर० जमा/प्राप्ति” शीर्षान्तर्गत यह स्पष्टतया उल्लेखित है कि जिला कार्यालय द्वारा Acceptance Order निर्गत करने के पूर्व धान कय से संबंधित पैक्सों/व्यापारमंडलों से प्राप्त सभी कागजातो यथा मिल के साथ एकरारनामा, किसानों के भुगतान संबंधी Advice, बैंक विवरणी, जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं मिल को प्राप्त कराए गए धान से संबंधित RT Note (प्रथम अग्रिम सी०एम०आर० को छोड़कर) जाँच कर ली जायगी तथा Acceptance Order में जिस अधिसूचित गोदाम में सी०एम०आर० जमा किया जाना है, स्पष्ट रूप से अंकित की जायगी।”

विदित हो कि निगम मुख्यालय के पत्रांक १२५८४ दिनांक-१२.१२.२०१७ (अनुलग्नक सहित संलग्न) से Acceptance Order के निर्गमन के संदर्भ में विस्तृत दिशानिदेश दिया जा चुका है।

अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र में उल्लेखित दिशानिदेश का अनुपालन करते हुए ही Acceptance Order का निर्गमन सुनिश्चित किया जाय।
अनु०:-यथावर्णित।

विश्वासभाजन


मुख्य महाप्रबंधक, (अधिप्राप्ति)।

ज्ञापांक:-०२:१५:१७(अधि०)/२०१७- १२५२ दिनांक, ५/१२/१८

प्रतिलिपि:-परियोजना प्रबंधक, ४^{जी} आईडेन्टीटी सॉल्यूशन, मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रबन्ध निदेशक कोषांग, मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य महाप्रबंधक, (अधिप्राप्ति)।



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०

खाद्य भवन, दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक रोड नं०-२, पटना-८००००१

पत्रांक:-०२:१५:१७(अधि०)/२०१७-१२५४

दिनांक-१२/१२/१७

प्रेषक,

महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति),
राज्य खाद्य निगम,
पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
अपर जिला प्रबंधक (अधिप्राप्ति),
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषय:-

खरीफ विपणन वर्ष २०१७-१८ अन्तर्गत पैक्स/व्यापारमंडलों का सी०एम०आर० जमा करने के परिप्रेक्ष्य में Acceptance Order निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:-

निगम मुख्यालय का पत्रांक १२२१२ दिनांक ०१.१२.२०१७

महाशय,

ज्ञातव्य है कि निगम मुख्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा खरीफ विपणन वर्ष २०१७-१८ अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश/कार्ययोजना आपको प्रेषित की जा चुकी है।

पैक्स/व्यापारमंडलों से उनके द्वारा ऑनलाईन पंजीकृत किसानों से क्रय किए गए धान के समतुल्य सी०एम०आर० प्राप्त करने के संदर्भ में जिला स्तर पर Acceptance Order निर्गत किए जाने के पूर्व पैक्स/व्यापारमंडलों से इस पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ-साथ मिलर को आपूरित धान के परिप्रेक्ष्य में निर्गत आर०टी०नोट (प्रथम आग्रिम सी०एम०आर० छोड़कर) प्राप्त कर संलग्न प्रपत्र में Acceptance Order निर्गत किया जायगा जिसमें जिस अधिसूचित गोदाम में चावल जमा किया जाना है, स्पष्ट रूप से उस अधिसूचित गोदाम का नाम अंकित की जायगी।

अनु०-(१) पैक्स/व्यापारमंडल के आवेदन का प्रपत्र।

(२) Acceptance Order का प्रपत्र।

विश्वासभाजन,

महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।

सेवा में,

जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
.....

विषय- खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 अन्तर्गत सी०एम०आर० जमा करने हेतु
Acceptance Order निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मे०.....
पैक्स द्वारा निम्न विवरण के अनुसार धान की अधिप्राप्ति की गयी है।

अनुरोध है कि सी०एम०आर० जमा करने हेतु Acceptance Order निर्गत
करने की कृपा की जाय।

| क्र० | पैक्स/व्यापार मंडल का नाम | कुल अधिप्राप्त धान की मात्रा | पूर्व में निर्गत Acceptance Order की कुल मात्रा | निर्गत Acceptance Order के विरुद्ध जमा की गई CMR की मात्रा | अधियाचित Acceptance Order हेतु CMR की मात्रा | अभ्युक्ति |
|------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
|------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|

संलग्न कागजात की विवरणी :-

1. पैक्स/व्यापार मंडल की ऑनलाईन पंजीकरण की छाया प्रति।
2. जिला टॉस्क फोर्स द्वारा स्वीकृत मिल के साथ किये गये एकररामाना की छाया प्रति।
3. किसानों को PFMS के माध्यम से किये गये भुगतान सम्बन्धित बैंक एडवाईस एवं बैंक विवरणी की सत्यापित प्रति।
4. मिल को आपूरित धान से संबंधित आर०टी०नोट की प्रति।

विश्वासभाजन

RCM/12-12-17

पैक्स/व्यापार मंडल अध्यक्ष का हस्ताक्षर,

पैक्स का नाम

पता.....

(मुहर)

ACCEPTANCE ORDER FOR ADVANCE CMR UNDER KMS 2017-18*
Acceptance order for PACS/Vyapar Mandal for delivery of Advance CMR to SFC,

Unique/Order No.....

Date.....

A.

- I. As per report received from Co-operative Deptt. the progressive purchase of paddy by (PACS/V.Mandal) in..... (Revenue district) as on isMT.
- II. M/s..... (PACS/V Mandal) made an agreement with M/s Rice Mill registered by SFC and duly approved by the District Task Force vide order no..... dated.....(photocopy of agreement with Rice Mill enclosed).
- III. As per recordMT of CMR delivered through M/s....., to SFC at CMR Godown.....
- IV. Now M/s (PACS/V.Mandal) is hereby directed to deliverMT (Variety) of CMR for KMS 2017-18.
- V. As per record(MT) of CMR is to be delivered by M/s..... (PACS/V Mandal) at CMR Center..... Through M/s..... (Rice Mill).

B. In addition to above, it is to further certify that :

- i. The above quantity of paddy has been purchased during KMS 2017-18 directly from the farmers at the Minimum Support Price affixed by the Govt. of India for the Crop Year 2017-18. The necessary relevant records of payment to the farmers are maintained by the PACS/Vyapar Mandal.
- ii. The details related to the farmers viz. their name and address, detail of land record, detail of ID proof, variety of paddy purchased, detail of payment made against the quantity of paddy purchased, details of instrument of payment i.e. PFMS and its rate maintained by PACS/Vyapar Mandal.
- iii. It is further to certify that new SBT gunnies conforming to BIS standard have been used for filling of the above quantity of CMR,
- iv. That the above quantity of Advance CMR is only against the paddy purchased by the agency during the procurement season KMS 2017-18 which has been ordered from 15.11.2017 to 31.03.2018.
- v. The complete and correct accounts have been maintained in respect of all above details and copies of the supporting documents are maintained and preserved by PACS/V.Mandal. These details/records shall be provided/will be presented for inspection to BSFC or its authorized Representative as and when ordered / required.

The above certificate is true to the best of my knowledge and belief in accordance with Bihar Rice & Paddy Procurement Order bearing letter no. 5765 dated 14-11-2017.

*Enforcement certificate for KMS 2017-18

Date.....

District Manager.

SFC